भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 197
सोमवार, 09 दिसंबर, 2024 / 18 अग्रहायण, 1946 (शक)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कवरेज

***197. श्री नवीन जिंदल:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में बड़ी संख्या में जिले कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दायरे में नहीं हैं;
(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत सभी जिलों का कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

“कर्मचारी राज्य बीमा निगम का कवरेज” के संबंध में श्री नवीन जिंदल द्वारा दिनांक 09.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 197 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में अधिसूचित की गई है। वर्तमान में ईएसआई योजना 674 जिलों में कार्य कर रही है, जिनमें से 571 जिले पूर्ण रूप से कवर किये गये हैं और 103 जिले आंशिक रूप से कवर किये गये हैं।

ईएसआई निगम गैर-अधिसूचित/ आंशिक रूप से अधिसूचित जिलों में कार्यान्वयन के लिए चिकित्सा व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों के साथ लगातार मामले को उठा रहा है। राज्य सरकार द्वारा “अनापत्ति प्रमाण पत्र” जारी करने के बाद, ईएसआईसी औषधालय सह शाखा कार्यालयों (डीसीबीओ), बीमा चिकित्सा व्यवसायियों, रूपान्तरित नियोक्ता उपयोगिता औषधालय (एमईयूआईडी) और टाई-अप अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिक/ द्वितीयक चिकित्सा की व्यवस्था करने का प्रयास करता है।

*****